

परियोजना का नाम:-

जनपद-देहरादून के विकास खण्ड-सहसपुर में ग्रामीण सड़के एवं ड्रेनेज विभाग के अन्तर्गत देहरादून-मसूरी मोटर मार्ग के किमी०-17.00 से ग्राम डोमगांव तक ग्रामीण सड़क (कुल लम्बाई-1.05 किमी०) के निर्माण हेतु वांछित 0.07035 है० (वन स्वरूप) की भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत गैर वानिकी कार्यो हेतु ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड, देहरादून को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।

एन०पी०वी० की धनराशि जमा करने सम्बन्धी प्रमाण-पत्र

(माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 28.3.08 एवं 9.5.2008 के अनुसार)

"प्रमाणित किया जाता है कि सम्बन्धित वन क्षेत्र (आरक्षित वन भूमि- 0.00 है० तथा सिविल सोयम वन भूमि -0.7035है० कुल 0.7035 है०) मा० उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 28-3-2008 के अनुसार निर्धारित ईको क्लास V के अन्तर्गत आता है।"

उक्तानुसार मोटर मार्ग के निर्माण हेतु प्रस्तावित कार्य स्थल का धनत्व 0.1 से 0.2 के मध्य है। जिस हेतु एन०पी०वी० की प्रति है० दर रू० 6,57,000.00(रू० छः लाख सत्तावन हजार मात्र) है। उक्त दर के अनुसार एन०पी०वी० धनराशि का आगणन रू० 4,62,200.00(रू० चार लाख बासठ हजार दो सौ मात्र) है। जिसका भुगतान प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा।

प्रभागीय वनाधिकारी
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी